अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 04/2019(RCMS No. 2019/00037) अनवान् 1. शोभाराम उर्फ बोस पुत्र काशीराम जाति कुम्हार, निवासी **दार्ड नम्बर 09, डा. गिरी के मकान के पीछे, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम 1. स्टेट ऑफ** राजस्थान **2. काशीराम पुत्र श्री नानूराम जाति कुम्हार आयु 75 वर्ष** निवासी हाल तलारसर चक 31 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.06.2019

पत्रावली पेश हुई। यह अपील अपीलार्थी शोभाराम उर्फ बोस पुत्र काशीराम उपस्थित है। अपील के एडमिशन के बिन्दु पर अपीलार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के पिता काशीराम द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 व 23 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें अपीलार्थी व उसके दो अन्य भाईयों इन्द्राज उर्फ कालू एवं संतलाल पुत्र काशीराम को अपने पिता रेस्पोडेंट संख्या 02 काशीराम को 1000 – 1000/– कुल 3000/– रूप्ये अदा करने के आदेश दिये गये थे और साथ ही उसके हिस्से में आए 12.6 गुणा 37 फुट आवासीय मकान में अपीलार्थी व उसके दोनों भाईयों को किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करने हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त आदेश विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये पारित किया गया। इसलिए अपीलार्थी की अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जावे।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलार्थी शोभाराम उर्फ बोस के पिता काशीराम ने अपने पुत्रगण अपीलार्थी शोभाराम एवं दो अन्य पुत्रगण इन्द्राज उर्फ कालू

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवं संतलाल के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 एवं 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.10.2018 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया है :

अतः प्रार्थी के भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अपने पिता काशीराम के भरण हेतु 1000—1000!— कुल 3000/— रूपये मातिक प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अदा करेगा। भरण पोषण की राशि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी जिसके लिए प्रार्थी अपना बैंक खाता अप्रार्थी को अपने स्तर से उपलब्ध करवाना सुनश्चित करेगा तथा प्रार्थी के हिस्से में आये 12.6गुणा 37 फुट आवासीय मकान में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द रहेंगें।

आदेश की प्रति तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानरगर तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तक़मील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2018 के मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-Sd-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी काशीराम ने पिता/रेस्पोडेंट संख्या 02 की हैसियत से अपनी संतान अपीलार्थी शोभाराम उर्फ बोस, इन्द्राज उर्फ कालू एवं संतलाल के विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 9 व 23 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर उक्त आदेश दिनांक 05.10.2018 को पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी शोभाराम उर्फ बोस ने संतान की हैसियत से अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत अपील पेश की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के तहत संतान को या अन्य किसी व्यक्ति को माता–पिता/वरिष्ठ नागरिक के विरूद्ध अपील पेश करने की अधिकारिता है अथवा नहीं? धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील**–(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> **परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्दकुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

> **13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099.**
>
> **This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]**

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता– पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है। और न ही संतान या संबंधी के रूप

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

इसलिए अपीलार्थी शोभाराम उर्फ बोस पुत्र के रूप में दिनांक 24.01.2019 को प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर